

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-48/2017/1116/पांच-8-2017-जी0(272)/2016टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2016 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-34(III)/15/डी0आर0/सेवा-8/2015-16, दिनांक 13-02-2017 में 29 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवार्यें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्तसमय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते

क्रमशः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी दिनांक 19-05-2017 तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
  - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)
  - (2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवार्य समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)
  - (3) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
- 8- यदि नवनियुक्त चिकित्साधिकारी, शासनादेश संख्या-1273/चि0-3-2015-जी0-

क्रमशः

06/2013टी0सी0-1, दिनांक 26-05-2016 के माध्यम से अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर तैनाती का विकल्प देते हैं, तो उन्हें स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-564/चि0-3-2014-जी0-06/2013, दिनांक 28-02-2014 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सीटों के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

- 9- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।
- 2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

**संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।**

**वी0 हेकाली झिमोमी**  
सचिव।

**संख्या-48/2017/1116(1)/पांच-8-2017-तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये

क्रमशः

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

**शिवगोपाल सिंह**

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

21-04-2017 की तैनाती सूची का संलग्नक-

क्र सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एस-21	52230138875	डा0 विरेन्द्र कुमार/पुत्र स्व0 श्री आनन्द प्रकाश/ई0-48, लालबाग लोनी, गाजियाबाद-201102	एस0सी0	गाजियाबाद	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, शामली
2.	एस-48	52250066567	डा0 अनिरुद्ध सिंह/पुत्र श्री नरेन्द्र पाल सिंह/मधुविला, सिंह क्लीनिक, निकट चार यार, डीएम0 रोड, बुलन्दशहर	ओ0बी0सी0	बुलन्दशहर	एम0बी0बी0एस0/ डिप्लोमा आर्थोपेडिक्स	ट्रामा सेन्टर, मुजफ्फरनगर
3.	एस-59	52250115279	डा0 शाहीन आरा/पुत्री श्री शाहिद अली/फ्लैट नं0-बी-2, मनदार अपार्टमेंट, प्रेरणा नगर कोटान रोड, नाकपुर	ओ0बी0सी0	इलाहाबाद	एम0बी0बी0एस0/ आब्स एण्ड गायनी	जि0म0चि0, बांदा
4.	एस-73	52250053244	डा0 अजेय सिंह/पुत्र श्री एस0बी0 सिंह/77-बी, सिविल लाइन, फतेहपुर	ओ0बी0सी0	फतेहपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, महोबा
5.	एस-81	52250263805	डा0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह/पुत्र स्व0 श्री बन्धन सिंह/ग्राम- बलुअही, पो0-शाहजहांपुर, देवरिया-274408	ओ0बी0सी0	देवरिया	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, कुशीनगर
6.	एस-95	52250104389	डा0 निदा परवीन/पुत्री श्री मुनीर अहमद/536/104/2के, मदेहगंज, सीतापुर रोड खदरा, लखनऊ-226020	ओ0बी0सी0	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई
7.	एस-236	52230049119	डा0 विकास कुमार/पुत्र श्री मदन सिंह/जी0-36, एस0बी0 हास्टल, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ	एस0सी0	सहारनपुर	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, शामली
8.	एस-274	52250241663	डा0 मनोज यादव/पुत्र श्री प्रन्सुख यादव/कोट पूर्वी, रामलीला मैदान, सम्भल-244302	ओ0बी0सी0	सम्भल	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 ट्रामा सेन्टर, मुरादाबाद
9.	एस-278	52250086622	डा0 सहसीना शकील/पुत्री श्री सकील अहमद/1 फलोर, यादव मार्केट, संगम गली, मऊ	ओ0बी0सी0	मऊ	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, गाजीपुर

क्रमशः

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

10.	एस-290	52230145918	डा० सुरभी सिंह/पुत्री श्री राम सिंह/डी-3/86, शास्त्री नगर, इज्जतनगर, बरेली	एस०सी०	बरेली	एम०बी०बी०एस०	ई०एम०ओ० जि०म०चि०, शाहजहांपुर
11.	एस-296	52250210973	डा० आकांक्षा यादव/पुत्री श्री आर०बी० यादव/एन-501, सेक्टर-9, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-110022	ओ०बी०सी०	जौनपुर	एम०बी०बी०एस०	अधीन मु०चि०अ०, गाजीपुर
12.	एस-346	52250260446	डा० हसीब अहमद सिददीकी/ पुत्र श्री शरीफ अहमद सिददीकी/सिददीकी हाउस, पेपर मील रोड, धमौली, रामपुर	ओ०बी०सी०	रामपुर	एम०बी०बी०एस०	ई०एम०ओ० प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट, अमरोहा
13.	एस-381	52250112079	डा० प्रेमचन्द्र यादव/पुत्र श्री त्रिभुवन प्रसाद यादव/ग्राम- सेखुई गोवर्धन, पो०-फतेपुर, जिला-सिद्धार्थनगर	ओ०बी०सी०	सिद्धार्थनगर	एम०बी०बी०एस०	अधीन मु०चि०अ०, बस्ती
14.	एस-453	52250057736	डा० कामिनी यादव/पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव/ग्राम-लखनपुर, पो०-मवईया, जिला-मिर्जापुर-231312	ओ०बी०सी०	मिर्जापुर	एम०बी०बी०एस०	अधीन मु०चि०अ०, सोनभद्र
15.	एस-459	52250081122	डा० लौवेश कुमार/पुत्र श्री जीत सिंह/एन०के० पुरी, एफ-35, गौतमनगर, दिल्ली, 49 निकट राधा कृष्णा मन्दिर	ओ०बी०सी०	अलीगढ़	एम०बी०बी०एस०	अधीन मु०चि०अ०, एटा
16.	एस-481	52250084943	डा० पुष्पेन्द्र कुमार यादव/पुत्र श्री जीतेन्द्र पाल सिंह/ग्राम- नगला नन्द, पो०-इसाई गोपालपुर, जिला-मैनपुरी	ओ०बी०सी०	मैनपुरी	एम०बी०बी०एस०	ई०एम०ओ० प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट, इटावा
17.	एस-504	52250200365	डा० अग्नीता गुप्ता/पुत्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता/एम-418, से०-डी-1, एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ	ओ०बी०सी०	फतेहपुर	एम०बी०बी०एस०	ई०एम०ओ० जि०म०चि०, ललितपुर
18.	एस-507	52250188744	डा० प्रियंका यादव/पुत्री श्री सन्तराम यादव/एम०एम०-2/115, विनय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	ओ०बी०सी०	लखनऊ	एम०बी०बी०एस०	ई०एम०ओ० जि०म०चि०, रायबरेली
19.	एस-548	52250040897	डा० कनिष्का चौंसिया/पुत्री श्री राजेश कुमार चौंसिया/ पो०-सैदपुर, जिला-गाजीपुर-233304	ओ०बी०सी०	गाजीपुर	एम०बी०बी०एस०	अधीन मु०चि०अ०, आजमगढ़

क्रमशः

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

20.	एस-571	52250021935	डा0 अनुज कुमार/पुत्र श्री मुरलीधर/ गुड्डू बर्तन वाले निकट पुरानी चकबन्दी आफिस, कालीचौरा रोड, बरहलगंज, जिला-गोरखपुर	ओ0बी0सी0	गोरखपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, देवरिया
21.	एस-626	52250042442	डा0 धनन्जय कुमार यादव/पुत्र श्री के0एस0 यादव/ ई-161, हरीहर नगर, इन्दिरानगर, लखनऊ	ओ0बी0सी0	लखनऊ	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 जि0चि0, लखीमपुर खीरी
22.	एस-654	52250072072	डा0 प्रशान्त कुमार स्वर्णकार/पुत्र श्री रामजानकी स्वर्णकार/से0-एच0 एन0-41,चिरंजीवविहार, गाजियाबाद	ओ0बी0सी0	गाजियाबाद	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 एस0बी0डी0 जि0चि0, सहारनपुर
23.	एस-695	52250185084	डा0 वर्षाजंली यादव/पुत्री श्री अवधराम यादव/ई0एच0-16, गुलिस्ता कालोनी, निकट विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ	ओ0बी0सी0	बाराबंकी	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, बहराइच
24.	एस-709	52250083591	डा0 राईसुल हसन/पुत्र श्री अब्दुल हकीम/वाई नं0-21, मो0 इस्लाम नगर, नई बस्ती, नवाबगंज, बरेली	ओ0बी0सी0	बरेली	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, शाहजहांपुर
25.	एस-713	52250108784	डा0 मो0 आसिफ/ पुत्र श्री अब्दुल नईम/मो0 वृतीयान, करहल, जिला- मैनपुरी	ओ0बी0सी0	मैनपुरी	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 50 शैययायुक्त मेडिकल केयर यूनिट चिकित्सालय, इटावा
26.	एस-778	52250070074	डा0 पल्लवी गुप्ता/पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता/117/ ओ0/427, गीतानगर, कानपुर	ओ0बी0सी0	कानपुर	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, औरैया
27.	एस-914	52230003409	डा0 ऋषभ चन्द्र/पुत्र श्री प्रेमचन्द्र/ 406 श्रीबृज अपार्टमेंट टावर-3, से0-4, वैशाली, गाजियाबाद	एस0सी0	गाजियाबाद	एम0बी0बी0एस0	ई0एम0ओ0 ट्रा मा सेन्टर, मुजफ्फरनगर
28.	एस-930	52250123719	डा0 परवेज आलम अंसारी/ पुत्र श्री कुददुस अंसारी/ निकट एस0बी0आई0 रोड, अंसारी कटरा शिशुआ बाजार, जिला- महराजगंज-273163	ओ0बी0सी0	महराजगंज	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, कुशीनगर
29.	एस-936	52250229439	डा0 बुशरा/पुत्री श्री जहीद हसन/उर्दू कालोनी, गुराना रोड, पी0एस0 बरौत, जिला-बागपत-250611	ओ0बी0सी0	बागपत	एम0बी0बी0एस0	अधीन मु0चि0अ0, सहारनपुर

शिवगोपाल सिंह  
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

## चरित्र प्रमाण-पत्र

में प्रमाणित करता हूँ कि डा0-----पुत्र श्री-----  
निवासी-----  
को विगत-----वर्षो/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई  
तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0-----मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उत्कृष्ट चरित्र एवं  
प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-----

निवासी-----

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2016 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप।

-----  
समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-----शपथ पत्र डा0-----  
----- पुत्र श्री/डा0-----निवासी-----जनपद-----  
-----में डा0----- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या----- दिनांक -----द्वारा उ0प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-----के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोग्य ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि समस्त कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और उ0प्र0 शासन को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक-----

### सत्यापन

में डा0-----शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर-1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक-----

-----  
(शपथकर्ता)

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।